श्री [illegible] आदि - घांची आदि प्र. सं. 49/13

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.6.24	पत्रावली पेश। अधि॰ उपस्थित प्रत्य 39 प्रत्य. शेष को नोटिस रजि. AD पेश होने पर जारी हो। बास्ते तामील दिनांक 2.7.24 को पेश हो।	
2.7.24	पत्रावली पेश। अधि॰ उपस्थित प्रत्य 39 प्रत्य. 4 का नोटिस रजि. AD से नोटिस फिरवाई गई है जो का लौ फुल आये। जो कारों का तामील होकर आये। न्यायहित में प्रत्य. 4 की तामील करानी जाती है। बास्ते बहस दिनांक 5.8.24 को पेश हो।	
5.8.24	पत्रावली पेश। अधि॰ उपस्थित प्रत्य 39 बास्ते बहस दिनांक 20.8.24 को पेश हो।	
20.8.24	पत्रावली पेश। अधि॰ उपस्थित प्रत्य 39 बास्ते बहस दिनांक 23.8.24 को पेश हो	
23.8.24	पत्रावली पेश। अधि॰ उपस्थित प्रत्य 39 बास्ते बहस दिनांक 2.9.24 को पेश हो	
2.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.9.24 को पेश हो	
10.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट.....खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 49/2013

1 धोलूराम पुत्र छोटूराम
2 झाबरमल पुत्र छोटूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता छोटूराम
3 छोटूराम पुत्र मंगलाराम
4 गुलाबी देवी पत्नी छोटूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरावाली तन मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

बनाम

1 पांची पत्नी सुरजाराम
2 प्रभुराम पुत्र सुरजाराम
3 भंवर पुत्र सुरजाराम
4 शांति देवी पुत्री सुरजाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरावाली तन मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 सोनी पत्नी नानूराम
6 कजोड़ पुत्र नानूराम
7 रूड़ाराम पुत्र नानूराम
8 नेकीराम पुत्र नानूराम
9 झमरी पुत्री नानूराम
10 सुन्दरी पुत्री नानूराम
11 सागरी पुत्री नानूराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 मिन्टू पुत्री नानूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरावाली तन मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट/वादी संख्या 1/1 से 2/8

13 लैण्ड रेकार्ड आफिसर (एस.डी.ओ.) नीमकाथाना जिला सीकर।
14 रामेश्वरलाल पुत्र गंगूराम जाति जाट निवासी नारावाली तन मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
15 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 5 ता 7

अपील विरूद्ध निर्णय एव डिक्री दिनांक 02.04.2013
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर मु.नं.
399/1993 बउनवानी सुरजा आदि बनाम धोलूराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रामनिवास, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

—निर्णय—

दिनांकः— 10.9.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 399/1993 में पारित निर्णय दिनांक 02.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाके ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण की साक्ष्य दिनांक 07.08.2012 को समाप्त हो गयी तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतु दिनांक 28.08.2012 तय की गयी। उक्त तिथि से लेकर दिनांक 18.02.2013 तक पीठासीन अधिकारी के दौरे पर होने या अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रतिवादीगण की साक्ष्य नहीं हुई। प्रतिवादी छोटूराम इस दौरान साक्ष्य हेतु विचारण न्यायालय में उपस्थित होता रहा है। दिनांक 18.02.2013 के बाद दिनांक 05.03.2013 को अधिवक्तागण ने राजस्व न्यायालय का बहिष्कार कर रखा था तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.03.2013 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त थे तथा आगामी पेशी 02.04.2013 नियम की गयी। उक्त तिथि को पीठासीन अधिकारी ने बिना आवाज दिलवाये प्रतिवादीगण को बिना मौका दिये मनमाने ढंग से प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद कर ताबड़तोड़ वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। जो निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य पेश करने हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना मौका दिये चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित कर दिये। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर 6 तनकीयात कायम की जिसमें तनकी संख्या 1 ता 4 वादीगण को साबित करनी थी तथा तनकी संख्या 5 व 6 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को साबित करनी थी। वादीगण द्वारा अपनी तनकियां साबित न किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री करने में भारी भूल की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

है। चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी की है। सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार निर्णय तनकीवार किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना तनकियों का निर्णय किये तथा बिना तनकियों पर अपना निष्कर्ष एवं कारण दिये तथा तनकियों की अनदेखी करके चुनौतीग्रस्त निर्णय मनमाने आधार पर कर दिया। जो निर्णय सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय पक्षपातपूर्ण ढंग से किया है। दिनांक 02.04.2013 को पीठासीन अधिकारी केवल मात्र इस वाद के लिए ही बैठे जिससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुति का मौका जानबुझकर नहीं दिया तथा वाद का निर्णय कर दिया जो निर्णय अपास्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांट को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया था। अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, अपीलांट के वकील के उपस्थित नहीं होने पर वादीगण को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादी भली भांति साबित है। भू–प्रबंध से पूर्व एवं पश्चात के रकबे में 0.55 हैक्टेयर का रकबा वादीगण का कम किया गया था। वादी का रकबा कम किये जाने का यथोचित कारण पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी के रकबे की पूर्ति की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांट को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया था। अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, अपीलांट के वकील के उपस्थित नहीं होने पर वादीगण को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादी भली भांति साबित है। भू–प्रबंध से पूर्व एवं पश्चात के रकबे में 0.55 हैक्टेयर का रकबा वादीगण का कम किया गया था। वादी का रकबा कम किये जाने का यथोचित कारण पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी के रकबे की पूर्ति की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर